

IV - 46/21

RAVI KESHARWAL II:  
ACC CODE: UP14101104, Lic.  
ADD: SO: AON, PRAYAGRAJ, MOL: 0  
TEH.: SOKAON, PRAYAGRAJ



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP76045385109216T

: 29-May-2021 01:07 PM

: NEWIMPACC (SV)/ up14101104/ ALLAHABAD/ UP-AHD

: SUBIN-UPUP1410110439787467123880T

: ADMINISTRATOR NIRMAL KUMAR PATEL onbehalf of Trust

: Article 64 (A) Trust - Declaration of

: CASH 10000.

:

: PUBLIC SERVICE PROJECT JAGDEESHPUR SUKJALI Prg

: ADMINISTRATOR NIRMAL KUMAR PATEL onbehalf of Trust

: ADMINISTRATOR NIRMAL KUMAR PATEL onbehalf of Trust

: 1,000

(One Thousand only)



Please write or type below this line.....

Nirmal Kumar



QT 0001097256



च्यास पत्र

Nirmal Kumar

Photo Attached

Arvind Chander

Advocate  
29/5/2021

मैं निर्मल कुमार पटेल पुत्र श्री विजय बहादुर निवासी जगदीशपुर सुकाली, पो०-आटरामपुर, प्रयागराज (उ०प्र०) का हूँ (आधार नं०-7894 6826 5002) (मो०-9956409282) जिन्हें आगे व्यवस्थापक / न्यासीगण कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा एवं रवारथ्य के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट रथापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 10,000/-रुपये (दरा हजार रु० मात्र) के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। व्यवस्थापकों ने उक्त को ट्रस्ट का प्रथम होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषण करते हैं कि—

1. यह कि ट्रस्ट का नाम—पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट (पी एस पी) ग्रुप

PUBLIC SERVICE PROJECT [PSP] Group होगा।

Nirmal Kumar



2. द्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय जगदीशपुर सुकाली, पो०—आटरामपुर, प्रयागराज (उ०प्र०) होगा परन्तु द्रचीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त द्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी अध्यक्ष व सचिव की सहमति से स्थानान्तरित कर सकता है।

### द्रस्ट के कार्य —

1. कम्प्यूटर कोचिंग सेंटर की स्थापना करना व संचालन करना।
2. बेरोजगार, जरूरतमन्द व बेसहारा स्त्रियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करना।
3. लड़के व लड़कियों के लिये अलग—अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
4. प्राथमिक से उच्च स्तर तक स्कूल कालेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना।
5. नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल हिन्दी व इंग्लिश मीडियम व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।
6. सामूहिक विवाह का आयोजन करना।
7. गौशाला बनवाना एवं संरक्षण करना।
8. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
9. शैक्षिक किताबों, पेपर, साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि का प्रकाशन करना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हास्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना तथा वेब पोर्टल व यूटूब के जरिए सोशल मीडिया के द्वारा न्यूज पोर्टल चलाना एवं न्यूज को प्रसारित करवाना।
10. सभी प्रकार की फिल्में टेली फिल्म आदि का निर्माण करना। तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देना

Nirmal Kumar



तथा इससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप करना।

11. धर्मशाला, आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक रथल बनवाना व उनकी देखभाल करना।
12. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, मूक वधिरों, विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना ताकि जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता दी जा सके।
13. दान दाताओं, विदेशी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं व सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी सहायता, ऋण व अन्य सहायता प्राप्त कराना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाइजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस उपलब्ध करवाना।
14. समय—समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्व कराना।
15. समाज के प्रत्येक वर्ग में कोविड-19 महामारी रोग निवारण, एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।
16. गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धि कार्य करना तथा आम पब्लिक को “जल ही जीवन है” सम्बन्धित जानकारियों देना।
17. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक द्वारा करना।

Nirmal Kumar



18. अरप्ताल, औषधालय, डॉयग्नोस्टिक सेन्टर, स्कैनिंग सेन्टर, पाली क्लीनिक, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
19. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों एवं गांवों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़ें।
20. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
21. स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
22. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय-विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।
23. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना।
24. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना व दान की रसीद देना।
25. वह सभी कार्य करना जो समरत मानव जाति के लिये कल्याणकाणी हो।
26. यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशाप आयोजित करना।
27. यह कि धर्मशाला एवं मंदिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ हो सके।
28. महिलाओं, बालक, बालिकाओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक व चारित्रिक




विकास करना। प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।

29. ऊसर एवं बंजर भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने हेतु कार्य करना तथा कृषिकों को आधुनिक तकनीक द्वारा खेती करने की जानकारी/प्रशिक्षण/नये यंत्रों की जानकारी देना तथा भूमि सुधार औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती करना, नैडम एवं बर्मी कम्पोर्स्ट तथा जैविक कृषि हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना।
30. सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करना, सांस्कृतिक गोष्ठी, सेमिनार, जनजातीय लोक कला एवं विनिदृश्टि कला हेतु विकास करना, संगीत कला केन्द्र/संगीत महाविद्यालयों की स्थापना करना, वाद्य यंत्रों का रख रखाव, लुप्त हो रही संस्कृति को उजागर करना, अनुसंधान, प्रोत्साहन विशयक संगोष्ठी, जन्म सताब्दी समारोहों का आयोजन करना तथा विभिन्न प्रकार की/विभिन्न विधाओं में संगीत प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
31. युवाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन तथा एकता की भावना पैदा करने हेतु क्रीड़ा/खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु खेल प्रतियोगिताएं तथा युवाओं के नेतृत्व गुण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
32. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपद स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर ट्रस्ट की शाखा व कार्यालयों की स्थापना करना।


### कार्यक्षेत्र –

1. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

### ट्रस्ट द्वारा संस्थाओं का संचालन

- (क) ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की सम्पत्ति चल व अचल ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी। जिसे ट्रस्ट किसी भी उपयोग में ला सकेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को ट्रस्ट के हित में बंधक रखा जा सकता है। ट्रस्ट/संस्था की ओर से आवश्यक शपथ-पत्र/प्रति शपथ-पत्र या विलय पर ट्रस्ट की सहमति से ट्रस्ट की

Nirmal Kumar



ओर से अध्यक्ष व सचिव हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।

(ख) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा। संस्थाओं के संचालन के लिए दान, चन्दा और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

(ग) ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबंधकारिणी समिति होगी जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक सम्बद्धता/मान्यता अथारिटीज उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार अन्य सम्बंधित संस्थाओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबंधकारिणी समिति का गठन करेगा, जिसमें कम से कम 03 आजीवन सदस्य ट्रस्ट द्वारा नामित किये जायेंगे।

(घ) ट्रस्ट अन्य किसी भी समिति/ट्रस्ट की सहमति से उसके परिसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समविलन की तिथि से उस समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और उसके अधिकार/सम्पत्ति परिसम्पत्ति एवं दायित्व ट्रस्ट में निहित समझे जायेंगे।

### ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति –

1. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहें जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उछदेष्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।
3. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनकों पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

Minal Kumar



4. यह कि श्री निर्मल कुमार पटेल पुत्र श्री विजय बहादुर निवासी—जगदीशपुर सुकाली, पो०—अटरामपुर, प्रयागराज उ०प्र० उपरोक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं श्री भूपेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० राकेश कुमार पाण्डेय (आधार 4283 7085 9817) निवासी—जगापुर, पो०—मेजा रोड, प्रयागराज उ०प्र० उरोक्त ट्रस्ट के सचिव होंगे। श्री लल्लन सिंह पुत्र श्री सीता राम (आधार—3445 6165 7655) निवासी—पुरखीपुर, पो०—खरगापुर, प्रयागराज उ०प्र० ट्रस्ट के उपाध्यक्ष होंगे। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे—
5. यह कि ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तथा ये व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अक्ष्यक्ष, सचिव एवं उपाध्यक्ष का कभी चुनाव नहीं होगा और न ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग—पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग—पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग—पत्र देता है और उसे सचिव अध्यक्ष की सहमति से र्खीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग—पत्र देने वाले सदस्य का समर्त अधिकार ट्रस्ट से समाप्त हो जायेगा। अध्यक्ष के अक्षम या मृत्यु होने की दशा में वही व्यक्ति अध्यक्ष बन पायेगा जो पदाधिकारी के रूप में 5 वर्ष तक पद रह चुका हो।

Nirmal Kumar



## ट्रस्ट के सदस्यों का विवरण निम्नवत् है—

क्र.सं.	नाम	पिता/पत्नी का नाम	आयु	पता	पद
1.	निर्मल कुमार पटेल	श्री विजय बहादुर	40	जगदीशपुर सुकाली, पो०—अटरामपुर, प्रयागराज	अध्यक्ष
2.	भूपेन्द्र पाण्डेय	रव० राकेश कुमार पाण्डेय	25	जगेपुर, पो०—मेजा रोड मेजा, प्रयागराज	सचिव
3.	लल्लन सिंह	श्री रीताराम	37	पुरखीपुर, पो०—खरगापुर, सोरांव, प्रयागराज	उपाध्यक्ष
4.	इन्दू पटेल	श्री निर्मल कुमार पटेल	36	जगदीशपुर सुकाली पो०—अटरामपुर, प्रयागराज	मंत्री
5.	योगेन्द्र वर्मा	रव० सत्यराम वर्मा	59	अकारीपुर, पो०—सोरांव, सोरांव, प्रयागराज	उपमंत्री
6.	अमर बहादुर	श्री रामसजीवन	40	माधोपुर, पो०—अटरामपुर, सोरांव, प्रयागराज	कोषाध्यक्ष
7.	मुनेश्वर प्रसाद पाण्डेय	श्री संतोष कुमार पाण्डेय	31	ऊंचागांव, मुबारकपुर, गढ़ी समदाबाद, प्रतापगढ़	आय-व्यय निरीक्षक
8.	दिनेश कुमार	श्री जमुना प्रसाद	31	लरु, कुण्डा, प्रतापगढ़	संयुक्त मंत्री
9.	तकसीम बानो	अब्दुल अजीज	33	मनीहारी टोला, गढ़ी मानिकपुर, प्रतापगढ़	सदस्य
10.	निर्देश कुमार	श्री विजय बहादुर	38	भद्री, पो०—मलाक हरहर, सोरांव, प्रयागराज	सदस्य
11.	इन्द्रजीत	श्री रामनरेश	31	पथरियापुर, पो०—अटरामपुर, प्रयागराज	सदस्य

यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे—

अध्यक्ष — ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना।

उपाध्यक्ष— अध्यक्ष का सहयोग करना एवं उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।

सचिव— ट्रस्ट की बैठकों में पारित समरत प्रताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना, ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना, सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना, सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप

Nirmal Kumar



से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना, अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी दृस्तियों को भेजना, ट्रस्ट की समरत आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना, ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना। ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपसचिव— सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

- कोषाध्यक्ष— 1. ट्रस्ट की समरत आय-व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। ट्रस्ट का समरत व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।
2. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे—न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बंधित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी तथा अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेष प्रदान करेंगे। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।
3. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबंध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबंध समिति जिसमें वे स्वयं व उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का

Nirmal Kumar



अधिकार होगा एवं ट्रस्टगण ऐसी प्रबंधक समिति को सबंधित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

4. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।
6. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय—समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की

Nirmal Kumar



सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।


7. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, क्रय करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 2/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।
9. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पद, पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

Nirmal Kumar



10. यह कि राखी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण, बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियों आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु वह उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग एकाउन्ट्स—खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अक्ष्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा, सचिव अकेले द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।
12. यह कि अक्ष्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अक्ष्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त अक्ष्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
13. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट का प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों

Nirmal Kumar



का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाबा हिराव रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक विट्ठा नायेंगे जो कि अध्यक्ष व रायिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

15. यह कि न्यासी/द्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वर्सीयत के अनुसार निश्चित कर सके। द्रस्टी सदस्यों के मरणोंपरान्त उस वर्सीयत के अनुसार द्रस्टी उस उत्तराधिकारी को द्रस्ट पर द्रस्ट की सम्पत्तियों पर या द्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/द्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन

कराया जायेगा। जो कि उक्त न्यासी/द्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/द्रस्टी के स्थान पर न्यासी/द्रस्टी तथा नवनियुक्त द्रस्टी को एतद द्वारा नियुक्त द्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

16. यह कि द्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी क्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और द्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

17. यह कि द्रस्ट की डीड द्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी। इस न्यास पत्र सम्बन्धित स्टाम्प शुल्क ₹ 1000=00 का ई स्टाम्प संख्या आई.सन.-यू.पी. 76045385 109216 टी दिनांक 29-5-2021 द्वारा अदा किया गया है।

Nirmal Kumar



18 यह कि एतद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसाहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

दिनांक : 29 / 05 / 2021



अध्यक्ष

(Nirmal Kumar)

निर्मल कुमार पटेल पुत्र श्री विजय बहादुर  
जगदीशपुर सुकाली, पो०-अटरामपुर,  
सौराव, प्रयागराज मो०- 9956409282

गवाह :-

1. अनिल कुमार पुत्र नं० ननै लाल  
जमखुरी, पो० हरिसोनगज सौराव, प्रयागराज  
आधार नं० 7966 8637 3616  
मो०- 9956588597



2. अनुप कुमार पुत्र श्री विजय बहादुर  
भद्री, पो०-मलाक हरहर, सौराव, प्रयागराज  
आधार नं० 6336 0859 9310  
मो०- 9450992934



मसविदाकर्ता-हरिश्वन्द्र एडवोकेट - *Hari Shwander*  
तहसील-सौराव, प्रयागराज। *29/05/2021*

टाइपकर्ता- अमर बहादुर *Amar Bahadur*  
ग्राम-मधवापुर, पो०-अटरामपुर, प्रयागराज।